Stage-I

प्रथमिकता अनुसार अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामले

(1) **प्राथमिकता–I** किसी कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान मृत्यु होता है अथवा स्थाई रूप से अपंग हो गये हों तो वह मामला प्राथमिकता'क' के अन्तर्गत आता है।

(2) **प्राथमिकता– II** कर्मचारी की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो जाती है तो वह मामला प्राथमिकता–II के अन्तर्गत आता है ।

(3) **प्राथमिकता– III** सेवा अवधि में बिमारी के कारण मृत्यु हो जाने पर

(4) **प्राथमिकता– IV** सभी चिकित्सा श्रेणियें में अयोग्य घोषित होने पर ।

प्राधिकार:– **पत्र सं0–ई(एनजी)।।/84/आरसी/1–25 दिनांक 19 सितम्बर'1984 एवं पत्र सं0–ई/एनजी/।।/85/आरसी/94 दि.10–11–2000**

(क) **अनुकम्पा आधार पर किन–किन आश्रितों को नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है:–**

(i) विधवा, विधुर

(ii) पुत्र, अविवाहित पुत्री

(iii) आश्रित भाई, बहन, माता–पिता जिनका नाम पारिवारिक पास घोषणा पत्र में भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा दिया गया है, अथवा प्रखण्ड द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में नाम दर्ज होना चाहिए ।

(iv) वैद्य दत्तक पुत्र/पुत्रियॉ तथा विवाहित पुत्रियॉ जो कर्मचारी के मृत्यु के समय पूर्णत: आश्रित हों ।

प्राधिकार:– (1) ई(एनजी)।।/78/आरसी–।(।) दिनांक 3–2–81
(2) ई(एनजी)।।/87/आरसी–।/152 दिनांक 19–10–87
(3) ई(एनजी)।।/86/आरसी–।/1/पॉलिसी दिनांक 20–5–88

(ख) **अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:–**

(1) ग्रुप'सी' के लिए–न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण

(2) ग्रुप'डी' के लिए–न्यूनतम आठवां होना अनिवार्य है तथा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

(3) विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं ।

(ग) (i) अनुकम्पा आधार पर ग्रुप'सी' में नियुक्ति हेतु सुयोग्यता जॉच होती है जिसमें अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है ।

; (ii) सुयोग्यता जॉच में लिखित परीक्षा-85 अंक का तथा मौखिक परीक्षा-15 अंक का यानि कुल 100 अंक का होता है ।

(iii) सुयोग्यता जॉच में अभ्यर्थियों को सफल होने के लिए 100 अंक में कम से कम 40% और अधिक अंक लाना आवश्यक है ।

प्राधिकार:- महाप्रबंधक(का0)पूमरे/हाजीपुर का पत्र सं0 ECR/HRD/Rectt/ CG/Policy, dt. 24.9.2004

(iv) ग्रुप'सी' सुयोग्यता जॉच का संपादन हेतु एक कमिटि का गठन किया जाता है, जिसमें तीन कनीय प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी होते हैं । तीन कनीय प्रशासनिक ग्रेड में एक अधिकारी प्रश्न पत्र बनाने तथा एक उत्तर पुस्तिका जॉचने हेतु नामित किये जाते हैं । तीन प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी में एक कार्मिक विभाग के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अथवा मंडल कार्मिक अधिकारी एवं दो अन्य अलग-अलग विभाग के होते हैं । मंडल स्तर पर कमिटि का गठन मंडल रेल प्रबन्धक महोदय द्वारा की जाती है ।

(v) अगर कोई अभ्यर्थी प्रथम बार सुयोग्यता जॉच में असफल हो जाते हैं तो उन्हें उनके आवेदन पर दूसरी बार सुयोग्यता जॉच में शामिल किया जाता है। भूतपूर्व कर्मचारी के विधवा को महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से तीसरा अवसर भी दिया जाता है ।

(घ) अनुकम्पा आधार पर ग्रुप'डी' में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की सुयोगयता जॉच ली जाती है, जिसके लिए तीन सहायक अधिकारियों का एक कमिटि गठन की जाती है, जिसमें एक कार्मिक विभाग के तथा दो अन्य विभाग के अधिकारी होते हैं।

(ड़) ग्रुप'सी' के सुयोग्यता जॉच में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों का पैनल प्रकाशित किया जाता है जिसमें सफल अभ्यर्थियों को ग्रुप'सी' का पद एवं असफल अभ्यर्थियों को ग्रुप'डी' का पद आवंटित किया जाता है ।

(च) कर्मचारी के मृत्यु के समय अभ्यर्थी नवालिग है तो वालिग होने तक प्रतिक्षा की जाती है । बालिग होने पर दो वर्ष के अंदर अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्राप्त हो जाना अनिवार्य है ।

(छ) अगर कोई अभ्यर्थी/कर्मचारी के मृत्यु के समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तो उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए समय देने का प्रावधान है ।

(ज) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कर्मचारी के मृत्यु तिथि से 20 वर्ष तक ही पुराने मामले पर विचार किया जा सकता है ।

(झ) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के सभी मामले मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय, कारखाना स्तर पर मुख्य कारखाना प्रबंधक तथा मुख्यालय स्तर पर एच0ओ0डी0 द्वारा विचार किया जाता है ।

प्राधिकार:- रेलपरिषद के प0 सं0 ई(एनजी)।।/99/आरसी-।/जेन/23 दि0 30-11-99 एवं पत्र सं0 ई(एनजी)।।/98/आरसी-।/64 दिनांक 28-7-2000

(ण) प्राथमिकता- IV के अंतर्गत विकोटिकृत कर्मचारियों के मामले में विकोटिकृत तिथि से तीन वर्ष से अधिक सेवा रहने पर मुख्यालय स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं तीन वर्ष से कम सेवा अवधि शेष रहने पर महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदन वांछिनीय होता है ।

(ट) प्राथमिकता- I के अंतर्गत अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति एक माह के अंदर तथा अन्य मामले में तीन माह के अंदर नियुक्ति करने का प्रावधान है ।

(ठ) अगर विधवा नौकरी करने में असमर्थ हो और पुत्र/पुत्रियॉ नावालिग हों तो मामले को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पॉच वर्ष के लिए या तबतक लम्बित रखा जाय जबतक ज्येष्ठ पुत्र/पुत्री व्यस्क न हो जायें अर्थात उसकी आयु 18 वर्ष न हो जाये, जो भी पहले हो ।

प्राधिकार:- रेलपरिषद के पत्र सं0 ई(एनजी)।।।/78/आरसी-।/। दिनांक 30-4-79 एवं पत्र सं0 ई(एनजी)।।/84/आरसी/।/172 दि 01-3-85

(5) अगर विधवा वालिग पुत्र को अनुकम्पा आधार पर नौकरी न देकर नावालिग पुत्र/पुत्री को देना चाहती है तो नावालिग पुत्र की वालिग होने पर देना चाहती है तो मामले को वालिग होने की तिथि यानि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रोका जा सकता है ।

(6) अभ्यर्थी को वालिग होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर आवेदन दिया जाना आवश्यक है।

(7) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयुवाले अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा तक छूट जितना आवश्यक तथा उचित हो ।

<u>प्राधिकार:- आर.बी.ई.-154/2001 दिनांक 10-9-2001</u>